न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 12 / 2019

उनवान

अमृतलाल पिता लालजी त्रिवेदी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: प्रार्थी

बनाम

(1) प्रताप पिता धुलजी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 16.02.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि प्रार्थी के पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य का खसरा नम्बर क्रमश: 441, 442,443, 445, 446, 447, 448, 449 एवं 450 कुल रकबा 1.08 हेक्टर भुमि वाके ग्राम लसाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) मे स्थित है। उक्त कृषि भुमि में प्रार्थी व उसका परिवार बापदादाओं के समय से आवागमन एवं कृषि कार्य हेतु उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वर्तमान में खसरा नम्बर 417 जो कि खसरा नम्बर 408 का नया नम्बर बना हुआ है में प्रार्थी व उसका परिवार आवागमन करता चला आ रहा है। अप्रार्थी प्रार्थी की कृषि भुमि में आवागमन में अवरूद्ध करने हेतु प्रताप पिता धुलजी ब्राह्मण निवासी पालोदा ने पत्थरो का कच्चा कोट बनाकर रास्ते को खुर्द–बुर्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी व उसके परिवार एवं आस पास स्थित अन्य काश्तकारो का आवागमन अवरूद्ध हो गया है। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के उक्त कृत्य का विरोध किया तो अप्रार्थी प्रताप पिता धुलजी ब्राह्मण ने कहा की उक्त भुमि हमने ग्राम पंचायत लसाडा से जरिये पट्टे से प्राप्त की है, तो प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा की उक्त भुमि को मैं व मेरा परिवार बापदादाओं के समय से रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग कर रहे है तो ग्राम पंचायत किसी भी तरीके से रास्ते की भुमि पर पट्टा नियमानुसार जारी नही कर सकती है आप हमे पट्टा बताये परन्तु अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी को पट्टा नही बताया जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत लसाडा को उक्त भुमि बाबत् पट्टा व मिसल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया व ग्राम पंचायत ने भी प्रार्थी को कोई भी नकल उक्त भुमि बाबत् नही दी तथा ग्राम पंचायत लसाडा ने प्रार्थी को अवगत करवाया की उक्त भुमि खसरा नम्बर 408 नया 417 रकबा 0.08 हेक्टर की भुमि का कोई भी रिकार्ड ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही है एवं न ही मुझे चार्ज में प्राप्त हुआ है। जिस कारण मैं उक्त भुमि बाबत कोई भी दस्तावेज आपको नही दे सकता हूँ। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत लसाडा से यह भी निवेदन किया की उक्त भुमि खसरा नम्बर 408 नया 417रकबा 0.08 हेक्टर की भुमि से बापदादाओं के समय से आवागमन करते चले आ रहे है एवं चिंके वर्तमान में विद्यानिकेतन स्कूल लसाडा भी स्थित है। उक्त संस्थान में आवागमन करने वाले लोग भी इसी रास्ते का उपयोग कर आवागमन कर रहे है। जिस हेतु अप्रार्थी को उक्त रास्ते में आवागमन में रोकने का कोई भी विधिक अधिकार नहीं है। अतः उक्त रास्ता की भुमि को सुचारू रूप से आवागमन में बाधा उत्पन्न न करे इस हेतु माननीय न्यायालय में धारा 251 रा.का.अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से श्री पवन लूहार, अभिभाषक द्वारा वकालातनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का अप्रार्थी की भूमि में से आना–जाना अथवा रास्ता होना अस्वीकार करते हुऐ प्रार्थी की भूमि से खेल मैदान लगा हुआ होकर विद्यानिकेतन की सड़क बनी हुई होना एंव खेल मैदान के रास्तें से समस्त ग्राीणों का आना–जाना करना होना अवगत कराया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार गढ़ी के पत्रांकः 2140 दिनांक 24.12.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु सबसे कम दूरी का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होना एंव ग्राम ओड़ा के सर्वे नम्बर 417 रकबा 0.08 हे0 किस्म–आबादी श्री सरकार भूमि में से 50X4 मीटर यानि की 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 430 रकबा 0.23 हे0 किस्म–रा.च. खातेदार श्री शंकरलाल पिता कानजी की भूमि में से 75X20 मीटर यानि की 0.03 हे0 कुल किता दो रकबा 0.05 हे0 भूमि रास्तें हेतु प्रस्तावित की गई।

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड तथा तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जाने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रचलित रास्ते को खुलवाने का इमदाद चाहा है जिसका क्षेत्राधिकार धारा 251 के तहत् इस न्यायालय का नही है। प्रार्थी द्वारा सबसे कम दूरी का रास्ता चाहा गया है तथा प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में अन्य रास्ता उपलब्ध होना अवगत कराया है, भूमिधारी तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहूँच हेतु "**सबसे कम दूरी का** अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होना" अवगत कराया है। जिससे स्पष्ट जाहीर हैं कि प्रार्थी के सर्वे नम्बरान् पर पहुँच के लिए अन्य रास्ता मौके पर उपलब्ध है, भले ही वह सबसे कम दूरी का नही हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner